



1. आशुतोष कुमार पाण्डेय
2. डॉ० कुँवर भानु प्रताप सिंह

क्षेत्रीय शक्ति संतुलन : भारत-पाकिस्तान स्पर्धा

1. शोध अध्ययता 2. शोध निर्देशक/असि० प्रोफेसर-राजनीति विज्ञान विभाग, खरडीहा महाविद्यालय, खरडीहा-गाजीपुर (उ०प्र०) भारत

Received-02.01.2025,

Revised-10.01.2025,

Accepted-16.01.2025

E-mail : ashutoshp711@gmail.com

सारांश: दक्षिण एशियाई देशों में शक्ति संतुलन स्थापित करने के दृष्टिगत भारत की एक केन्द्रीय भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इसका कारण स्वतंत्रता के बाद से सतत भारत में लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था के तहत सत्ता का निर्विघ्न हस्तांतरण का होता रहना, पड़ोसी राष्ट्रों से भाई-चारे का सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध को प्रोत्साहन देना, पड़ोसियों पर कभी भी अनावश्यक संघर्ष या युद्ध को नहीं थोपना, यथा सम्भव पड़ोसी राष्ट्रों की मदद करना, प्राकृतिक आपदाओं में बढ़-चढ़कर मदद करना, निरंतर विकास की गति को बनाये रखना इत्यादि हमारे विदेश नीति का अभिन्न अंग रहा है।

किन्तु, इसी के साथ यह भी सच्चाई है कि, भारत के पड़ोसी राष्ट्र ही दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को प्रभावित करते रहे हैं। इन राष्ट्रों में पाकिस्तान का स्थान सर्व-प्रमुख है। विभाजन काल से ही पाकिस्तान भारत से विरस्थायी विद्वेषपूर्ण प्रतिस्पर्धा से ग्रस्त हो गया। सच्चाई को तुकराते हुए वह कश्मीर-विभाजन का मुद्दा, बांग्लादेश का विभाजन, आतंकवादी गतिविधियों के संचालन इत्यादि के बारे में अपना राग अलापता रहा है। इसके फलस्वरूप वह भारत विरोध के तरह-तरह के हथकण्डों को तो समय-समय पर अपनाता रहा है, जिसमें स्थायी रूप से आतंकवाद एवं छद्म-युद्ध की रणनीति तो सम्मिलित है ही, साथ ही हथियारों की प्रतिस्पर्धा, परमाणु बम का निर्माण, सैन्य-शक्ति में वृद्धि, चीन से स्पष्टात्मक गठजोड़ इत्यादि को भी पाकिस्तान प्राथमिकता देता रहा है। ऐसी स्थिति में दक्षिण एशिया शक्ति संतुलन के दृष्टिगत भारत-पाकिस्तान स्पर्धा का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रस्तुत अध्याय में इसी के विविध पहलुओं का अध्ययन-विरलेषण किया गया है।

कुंजीभूत शब्द- क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था, विभाजन काल, विरस्थायी, आतंकवादी गतिविधि

भारत-पाकिस्तान स्पर्धा के सम्यक् ज्ञान हेतु इनके अलग-अलग राष्ट्र बनने से लगायत वर्तमान तक की विदेश नीति का अवलोकन करना आवश्यक है। सम-सामयिक परिप्रेक्ष्य में इसकी समीक्षा किया जाय तो विदित है कि भारत-पाकिस्तान का मुख्य मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। इसके लिए भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध राष्ट्रों की समिति की एक स्वेच्छिक बहुपक्षीय मंच बनाने की योजना प्रस्तुत की है। पाकिस्तान के सन्दर्भित भाजपा सरकार के घोषणापत्र-2019 में आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने वाले ऐसे देशों और संगठनों को अलग-थलग करने की नीति का उल्लेख है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मंचों से प्रचारित-प्रसारित कर दबाव बनाया जाय।

श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री काल में वर्ष 2014 से ही पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध न्यून निम्न कोटि के रहे थे। अपनी पड़ोस नीति के अनुपालन में भारत द्वारा पाकिस्तान से तनावपूर्ण संबंधों को सामान्य बनाने हेतु प्रयत्न आरम्भ किया गया। किन्तु, वर्ष 2016 के प्रारंभ तक यह निष्कर्ष निष्पादित हुआ कि, पाकिस्तान की विस्तृत राष्ट्र (सेना और आईएसआई) की बहाली में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह सदा भारत को नुकसान पहुंचाने हेतु सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन देता रहेगा।

भारत और पाकिस्तान दोनों गणतंत्रात्मक राज्य हैं, किन्तु जहाँ भारतवर्ष में वर्ष 1947 से सतत लोकतांत्रिक प्रक्रिया निर्विघ्न संचालित है, वहीं पाक में आईएसआई और सेना का लोकतंत्र में दखल के कारण कई बार सैन्य शासन लागू हुआ। इसी तरह भारत धर्मनिरपेक्षता की नीति का अनुशरण करता है, तो पाक एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में संगठित है। इन भिन्नताओं और बंटवारे के समय हुए साम्प्रदायिक दंगों, कश्मीर समस्या एवं बांग्लादेश का अभ्युदय इत्यादि से भारत-पाक सम्बन्ध अत्यंत जटिल और सामान्यतया शत्रुतापूर्ण रहा है। इस शत्रुता की पृष्ठभूमि स्वतंत्रता के समय से ही प्रकाश में आ गई, जब विभाजन के समय करीब 10 लाख हिन्दू-मुस्लिम इसकी बलिबेदी पर मृत हो गये। इसमें वे लोग अधिकाधिक मात्रा में सम्मिलित थे, जो हिन्दुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे अथवा पाकिस्तान छोड़कर हिन्दुस्तान आ रहे थे।¹ विभाजन के बाद 26 जनवरी, 1950 को भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना, तो सन् 1956 के संविधान में पाक स्वयं को एक इस्लामी गणराज्य घोषित किया।^{2,3} सन् 1971 ई० में पाक से बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अवतरित हुआ, तो यहाँ हिंदू आबादी बहुत ही कम हो गयी। यद्यपि पाकिस्तान ने अपनी क्रूर एवं शोषणकारी नीतियों के चलते बांग्ला-समस्या को जन्म दिया, जिसके प्रभावस्वरूप भारत मजबूर होकर उसमें हस्तक्षेप किया, किन्तु पाकिस्तान विभाजन को वह भारतीय दोष के रूप में आज तक अंगीकार करता है और एक स्थायी शत्रुता को पाले हुए है। इसकी वजह से भारत-पाक सीमा दुनिया की सबसे अधिक सैन्यीकृत अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में से एक है। इन देशों द्वारा आपसी संबंधों को सुधारने की दिशा में कई प्रयास किये गए; यथा- शिमला शिखर सम्मेलन, आगरा शिखर सम्मेलन और लाहौर शिखर सम्मेलन इत्यादि के साथ विभिन्न शांति एवं सहयोग सम्बन्धी प्रयास। इन प्रयासों को जब भी बल मिलता है, सीमा पार आतंकवादी गतिविधियाँ एवं पाक सेना की नापाक हरकतों की वजह से बात बिगड़ जाती है। अतः भारत स्वयं को पाकिस्तान से अलग कर और अंतरराष्ट्रीय मामलों में पाकिस्तान को दरकिनार कर रचनात्मक कार्यों की ओर अपना रुख किये रहता है।⁴ भारत 'न्यूनतम जुड़ाव', 'शांत-शांति' जैसी नीति का अनुशरण कर आगे बढ़ता रहा है।⁵

उत्तरी भारत और आधुनिक पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों में अपनी सामान्य इण्डो-आर्यन संस्कृति को बनाए रखने के लिए एक-दूसरे से ओवरलैप करते हुए विभिन्न प्रकार की इण्डो-आर्यन भाषाएं बोली जाती हैं; यथा- पंजाबी, सिंधी और हिंदी-उर्दू आदि। इससे इनमें भाषाई और सांस्कृतिक संबंध तो बने हुए हैं, किन्तु व्यापारिक सम्बन्धों की अल्पता है।⁶ प्रत्यक्ष मार्गों पर औपचारिक व्यापारिक सम्बन्ध कम कर दिया गया है।⁷ इसके चलते भारत-पाक व्यापार का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व में दुबई के मार्ग से सम्पन्न किया जाता है।⁸ बीबीसी वर्ल्ड सर्विस पोल रिपोर्ट, 2017 के अनुसार मात्र 5 प्रतिशत भारत-पाक व्यापारिक सम्बन्ध को सकारात्मक रूप से, 85 प्रतिशत नकारात्मक दृष्टि से और 11 प्रतिशत अन्य दृष्टि से देखते हैं।⁹ स्पष्ट है कि, अत्यल्प मात्रा में ही सकारात्मक सोच पाया गया है। भारत-पाक विभाजन में यह आशा नहीं की गयी थी कि, इससे जनसंख्या का स्थानांतरण इतनी संख्या में हिंसात्मक रूप में



होगा।¹⁰ तथापि पंजाब को अपवाद स्वरूप इससे अलग रखा गया था।¹¹ विभाजन के समय हुई हिंसा के पीछे हिंसा को प्रतिशोधात्मक नरसंहार करार दिया गया।¹² अनुमानतः विभाजन के दौरान पंजाब में कुल प्रवासन 12 मिलियन लोगों का हुआ था।¹³ इसी तरह लगभग 6.5 मिलियन मुसलमान पूर्वी पंजाब से पश्चिमी पंजाब में पलायन कर गये। विभाजन के समय कुल 680 रियासतों में से अधिकांश मुस्लिम-बहुल थीं, जो स्वयं को पाकिस्तान में विलिन कर लीं और हिंदू-बहुल रियासतें भारत में सम्मिलित हो गईं। किन्तु जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर स्वार्थवश विवाद को जन्म दिये। भारत-पाक सम्बन्धों के दृष्टिगत कश्मीर आज भी विवाद का विषय बना हुआ है।

जूनागढ़ गुजरात के दक्षिण-पश्चिमी छोर पर स्थित था, जिसमें माणावदर, मंगरोल और बाबरियावाड़ की रियासतें आती थीं। भौगोलिक संरचना के दृष्टिगत यह पाकिस्तान से लगा नहीं था। रियासतों में हिन्दुओं की जनसंख्या 80 प्रतिशत से अधिक थी। इसके काद भी नवाब महाबत खान एक मुसलमान होने के कारण 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान में कर दिया, जिसे पाकिस्तान द्वारा 15 सितंबर, 1947 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। इसका भारत विरोध करते हुए अन्यायपूर्ण कदम कहा। सीमा एवं जनसंख्या के अलावा जूनागढ़ समुद्र का तटीय इलाका था, जिससे वह भारत के अन्दर एक एन्क्लेव के रूप में भी पाकिस्तान के साथ समुद्री संबंध बनाए रख सकता था। इन दशाओं में जब सौहार्दपूर्ण समाधान का मार्ग नहीं दिखा, तो भारत के तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभाई पटेल ने विलय को रद्द करने और गुजरात में किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने हेतु जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराने का समय दिया। इसके बाद भी नवाब के आनाकानी करने पर अल्पमात्रा में सैन्य शक्ति का प्रयोग कर उसे भारत में विलय कर लिया। इसके लिए भारत ने जूनागढ़ को ईंधन एवं कोयले की आपूर्ति के साथ हवाई और डाक सम्पर्क अवरुद्ध कर दिया तथा सीमा क्षेत्र पर सेना तैनात कर दिया। इसी के साथ भारत में शामिल होने वाली मंगरोल और बाबरियावाड़ रियासतों को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया।¹⁴ इसके प्रभावस्वरूप 26 अक्टूबर, 1947 को जूनागढ़ के नवाब सपरिवार पाकिस्तान पलायन कर गये और 7 नवम्बर, 1947 को जूनागढ़ दरबार भारत सरकार को राज्य का प्रशासन संभालने हेतु दीवान सर शाह नवाज भुट्टो ने भारत सरकार में सौराष्ट्र के क्षेत्रीय आयुक्त श्री बुच को पत्र लिखा।¹⁵ इसका पाकिस्तान सरकार के विरोध¹⁶ करने पर 9 नवंबर 1947 को भारतीय सैनिकों ने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया।¹⁷ तत्पश्चात् फरवरी, 1948 में एक जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें करीब-करीब सर्वमत से भारत में विलय को अनुमोदित कर दिया गया।

कश्मीर रियासत की स्थिति जूनागढ़ से अलग मुस्लिम बहुल थी, जिसका शासन हिंदू राजा हरि सिंह का था। विभाजन के समय हरि सिंह ने स्वयं को स्वतंत्र रखने की नीति का अनुपालन किया। उनका पाकिस्तान से 'गतिरोध समझौता' था, जिसको भंग करते हुए पाकिस्तानी अर्ध-सैनिक बलों के समर्थन से आदिवासी पश्तून महसूद ने अक्टूबर, 1947 में कश्मीर पर कब्जा करने हेतु 'ऑपरेशन गुलमर्ग' के तहत आक्रमण कर दिया।

ऐसी स्थिति में महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता की गुहार लगाई, जिस पर भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने सहायता के बदले कश्मीर रियासत को भारत में विलय की शर्त रख दी। विषम परिस्थितियों को देखते हुए महाराज हरि सिंह ने 26-27 अक्टूबर, 1947 को विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया। विलय हो जाने पर भारत की सैन्य सहायता का समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के शेख अब्दुल्ला ने किया, तत्पश्चात् उन्हें राज्य के आपातकालीन प्रशासन का प्रमुख नियुक्त किया गया। दूसरी ओर पाकिस्तान द्वारा इस निर्णय का विरोध किया गया और कबायली विद्रोहियों को पूर्ण समर्थन देकर संघर्ष को विशद बना दिया गया। इसके बाद भी भारतीय सेना द्वारा कश्मीर घाटी से विद्रोहियों को खदेड़कर बाहर निकाल दिया गया। किन्तु, सर्दियों में कश्मीर के अधिकांश क्षेत्र में बर्फबारी से स्थिति दुर्गम हो गयी। परिस्थिति को देखते हुए दिसंबर, 1947 में भारत द्वारा संघर्ष को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष उठाया और आवेदन किया कि, दो नवजात राष्ट्रों के मध्य एक सामान्य युद्ध पर विराम लगाए। सुरक्षा परिषद द्वारा तत्काल प्रस्ताव-47 पारित कर पाकिस्तान से कहा कि, अपने नागरिकों को वापस बुला ले। इससे भारत ने भी अपनी अधिकांश सेना वापस बुला लिया। फिर कहा गया कि, लोगों की इच्छाओं को जानने हेतु जनमत संग्रह कराया जाय। भारत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित आयोग से बातचीत के माध्यम से एक संशोधित संस्करण को स्वीकार कर लिया। इसके बाद सन् 1948 के अंत में पाकिस्तान ने भी स्वीकार कर लिया और 1 जनवरी, 1949 को दोनों पक्षों द्वारा युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई।

किन्तु, सन् 1949 के बाद से ही पाकिस्तान कश्मीर में जनमत संग्रह का राग अलापता रहता है और आतंकवाद एवं छद्म युद्ध के माध्यम से समस्या को जीवंत बनाये रखता है। इसके लिए उसने आजाद कश्मीर के विद्रोही लड़ाकू बलों के 32 बटालियनों की एक पूर्ण सैन्य टुकड़ी संगठित कर दी।

भारत-पाक आजादी के बाद से ही कई सशस्त्र संघर्ष हुए, यथा- 1947 व 1965 का संघर्ष/युद्ध और 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। साथ ही, सन् 1999 में अनौपचारिक कारगिल युद्ध और कुछेक सीमा झड़पें।¹⁸ दोनों देशों ने सन् 2003 ई0 में एक संघर्ष- विराम समझौता पर हस्ताक्षर किये हैं, किन्तु इसको दोनों देश भंग करते रहते हैं और एक-दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं।¹⁹ इन झड़पों के कारण सीमाक्षेत्र अस्थिर बना रहता है और अनेक लोगों की जान भी चली जाती है।

भारत-पाक सम्बन्धों में सन् 1965 के युद्ध में भी एक महत्वपूर्ण रोड़ा अटकाया था। यह अप्रैल, 1965 से सितंबर, 1965 के मध्य घटित हुआ, जिसका आरम्भ पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर से हुआ। इसके तहत पाक जम्मू-कश्मीर में सैन्य घुसपैठ कराने के फिराक में था।²⁰ भारत ने इस आक्रामक आक्रमण का जोरदार जबाब दिया। 17 दिनों तक चले युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गये। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बख्तरबंद वाहनों की जंग²¹ और सबसे बड़ा टैंक युद्ध देखने को मिला।²² सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के कूटनीतिक हस्तक्षेपों के बाद रूस के ताशकंद शहर में घोषणापत्र जारी कर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनिवार्य युद्ध विराम की घोषणा की।²³ इस तरह युद्ध-विराम हुआ।

स्वतंत्र होने के बाद पाकिस्तान दो बड़े क्षेत्रों- पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में विभक्त था। पूर्वी पाकिस्तान में अधिकांशतः बंगाली जनसंख्या अधिक थी, जहाँ दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी सैन्य अभियान के तहत बड़ी संख्या में बंगालियों का नरसंहार आरम्भ किया गया। इस अभियान से पूर्वी पाकिस्तान में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और बंगाली भारत में करोड़ों की संख्या में शरण लेने लगे। जब इनका अत्यधिक दबाव एवं भार भारत पर पड़ने लगा तो अंतर्राष्ट्रीय नियमावली का अनुपालन करते हुए भारत ने हस्तक्षेप किया और खुनी संघर्ष/युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान से अलग कर बांग्लादेश को नये राष्ट्र के रूप में मान्यता दिलाया। युद्ध में भारतीय नौ-सेना अदम्य शाहस का परिचय देते हुए कराची बंदरगाह पर 'ऑपरेशन ट्राइडेंट, 1971' और 'ऑपरेशन पायथन' के दौरान



पाकिस्तान पर दो बार हमला किया गया। 13 दिन तक चले युद्ध अभियान के बाद करीब 93,000 पाकिस्तानी सेना के जवान भारतीय सेना एवं मुक्ति वाहिनी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिये। इस तरह विश्व पटल पर बांग्लादेश एक नये स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अवतरित हुआ।

इस घटना के बाद पाक सेना आतंकियों से मिलकर हमेशा छद्म युद्ध करती रही है। वर्ष 1998-99 के सर्दियों में भारतीय सेना कश्मीर के कारगिल सेक्टर स्थित अत्यधिक ऊँची पहाड़ी चोटियों पर स्थित सैन्य चौकियों छोड़कर मैदानी क्षेत्र में आ जाती थीं। इसका लाभ उठाते हुए पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा क्रास कर घुसपैठ किया और खाली भारतीय चौकियों को कब्जे में ले लिया। जब मई, 1999 में बर्फ पिघला तो भारतीय सेना को पाकिस्तान के इस दुःशाहस का ज्ञान हुआ और सेना को चौकियों पर पुनः कब्जा करने के लिए भीषण लड़ाई लड़नी पड़ी। इसमें हमारे बहुत से जांबाज सैन्य अधिकारी और जवान शहीद हुए और अन्ततः खोई चौकियों पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद भारी अंतरराष्ट्रीय दबाव और हताहतों की बढ़ी संख्या के कारण पाकिस्तान ने भारत के शेष भाग से वापसी कर ली। इस घटना ने भी भारत-पाक के राजनीतिक रिश्तों में खटाश डाल दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मेटकाफ और मेटकाफ: 2006, पृ. 221-222.
2. प्रशासनिक इकाइयों द्वारा क्षेत्र, जनसंख्या, घनत्व और शहरी-ग्रामीण अनुपात, जनसंख्या रिपोर्ट, 22 दिसंबर 2010.
3. मार्शल कैवेंडिश (सितंबर 2006): विश्व और उसके लोग, आईएसबीएन 978-0-7614-7571-2.
4. 'अभी के लिए, भारत के पास पाकिस्तान के साथ कूटनीति के लिए सीमित भूख है', राजनयिक, 23 फरवरी 2023.
5. 'भारत-पाकिस्तान संबंधों में अतिसूक्ष्मवाद का युग', द हिंदू, 7 नवंबर 2022.
6. पाकिस्तान-भारत व्यापार- क्या किया जाना चाहिए? इससे क्या फर्क पड़ता है? एशिया सेंटर प्रोग्राम, विल्सन सेंटर, 1 मार्च 2022.
7. निशा तनेजा (भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद), शाहीन रफी खान, मोईद यूसुफ, शाहबाज बुखारीय शोएब अजीज (जनवरी 2007), जरीन फातिमा नकवी और फिलिप शूलर (संपादक), अध्याय-4-भारत-पाकिस्तान व्यापार- भारतीय पक्ष से दृश्य (पृष्ठ 72-77), अध्याय-5- पाकिस्तान और भारत के बीच अनौपचारिक व्यापार की मात्रा निर्धारित करना (पृष्ठ 87-104), पाकिस्तान-भारत व्यापार की चुनौतियाँ और संभावनाएँ, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जून 2007.
8. अहमद, सादिक, गनी, एजाज: दक्षिण एशिया का विकास और क्षेत्रीय एकीकरण- एक अवलोकन, विश्व बैंक, 29 अगस्त 2012, पृष्ठ 33.
9. '2017 बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल पोल', बीबीसी वर्ल्ड सर्विस, 8 जून 2021.
10. वजीरा फाजिला-याकूबली जमींदार (2010): लंबा विभाजन और आधुनिक दक्षिण एशिया का निर्माण- शरणार्थी, सीमाएँ, इतिहास, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, आईएसबीएन 978-0-231-13847-5.
11. पीटर गैट्रेल (2013): आधुनिक शरणार्थी का निर्माण, वू ऑक्सफोर्ड, पृष्ठ 149. आईएसबीएन 978-0-19-967416-9.
12. 'भारत का विभाजन और पंजाब में प्रतिशोधात्मक नरसंहार, 1946-47 साधन, तरीके और उद्देश्य', 14 अप्रैल 2021 (संग्रहीत)।
13. जमींदार, वजीरा फाजिला-याकूबली (2013): भारत-पाकिस्तान विभाजन 1947 और जबरन पलायन, विले ऑनलाइन लाइब्रेरी, आईएसबीएन 9781444334890.
14. लुम्बी, 1954, पृ. 238.
15. 'भारत को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित करने वाला पत्र', 16 अक्टूबर 2011.
16. लुम्बी, 1954, पृ. 238-239.
17. हारून, सना (1 दिसंबर 2007): आस्था की सीमा: भारत- अफगान सीमा पर इस्लाम, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 179-180, आईएसबीएन 978-0-231-70013-926.
18. गांगुली, सुमित (17 दिसंबर 2020): भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश- नागरिक-सैन्य संबंध, ऑक्सफोर्ड रिसर्च इनसाइक्लो पीडिया ऑफ पॉलिटिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, आईएसबीएन 978-0-19-022863-7, 23 अप्रैल 2021.
19. पाई, लुसियन डब्ल्यू स्कोफील्ड, विक्टोरिया (2000): संघर्ष में कश्मीर- भारत, पाकिस्तान और अधूरा युद्ध.
20. चंडीगढ़, भारत, मुख्य समाचार, ट्रिब्यूनइंडिया.कॉम. 14 अप्रैल 2011.
21. डेविड आर. हिगिंस, 2016.
22. रचना बिष्ट, 2015.
23. ल्योन, पीटर (2008): भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष- एक विश्वकोश, एबीसी-सीएलआईओ, पृष्ठ 82. आईएसबीएन 978- 1-57607-712-230, अक्टूबर 2011.
